

# राज्य निर्वाचन आयोग

उत्तराखण्ड



सत्यमेव जयते

## राज्य निर्वाचन आयोग

संख्या:- 22/रा0नि0आ0अनु0-3/612/2005

देहरादून: दिनांक 09 अप्रैल, 2010

### अधिसूचना

उत्तराखण्ड जिला योजना समिति अधिनियम-2007 की धारा-8 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं, बिपिन चन्द्र चन्दोला, राज्य निर्वाचन आयुक्त, उत्तराखण्ड एतद्द्वारा उत्तराखण्ड राज्य के समस्त जनपदों में जिला योजना समिति के सदस्यों के निर्वाचन के लिए निर्वाचक नामावली तैयार कराये जाने हेतु निम्नलिखित समय-सारिणी निर्धारित करता हूँ:-

- |    |  |                                    |
|----|--|------------------------------------|
| 1. | निर्वाचक नामावलियों के आलेख्य का प्रकाशन       | 17, अप्रैल, 2010                   |
| 2. | निरीक्षण एवं दावा आपत्ति दाखिल करने की अवधि    | 19, अप्रैल, 2010 व 20 अप्रैल, 2010 |
| 3. | दावा/आपत्ति का निस्तारण                        | 22, अप्रैल, 2010                   |
| 4. | अंतिम रूप से तैयार निर्वाचक नामावली का प्रकाशन | 24, अप्रैल, 2010                   |

2- उपरोक्त निर्धारित समय-सारिणी के अनुसार संलग्न प्रारूप-क पर जिला मजिस्ट्रेट/रिटर्निंग आफीसर (जिला योजना समिति) द्वारा जिला योजना समिति के सदस्यों के निर्वाचन हेतु जिला पंचायत तथा नगर निकायों के निर्वाचित सदस्यों की मतदाता सूची की तैयारी के कार्यक्रम का स्थानीय समाचार पत्रों में प्रचार-प्रसार कराया जायेगा तथा निर्वाचक मण्डल की जानकारी हेतु जिला मजिस्ट्रेट के कार्यालय और जिला पंचायत के मुख्यालय तथा सभी नगरीय स्थानीय निकायों के मुख्यालयों में प्रदर्शन कराया जायेगा।

उपरोक्त समस्त कार्यवाही रिटर्निंग आफीसर (जिला मजिस्ट्रेट) द्वारा सम्पन्न की जायेगी।

### संलग्नक-प्रारूप-क

(बिपिन चन्द्र चन्दोला)  
राज्य निर्वाचन आयुक्त,  
उत्तराखण्ड।

### संख्या- 22/रा0नि0आ0अनु0-3/612/2005 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. समस्त जिला मजिस्ट्रेट/जिला निर्वाचन अधिकारी (जिला योजना समिति), उत्तराखण्ड।
2. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तराखण्ड।
3. मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
4. प्रमुख सचिव, ग्राम्य विकास एवं पंचायती राज उत्तराखण्ड शासन।
5. प्रमुख सचिव, गृह विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
6. प्रमुख सचिव, मा0 मुख्य मंत्री, उत्तराखण्ड।
7. प्रमुख सचिव, नियोजन विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
8. सचिव, श्री राज्य पाल, उत्तराखण्ड, देहरादून।
9. सचिव, पंचायतीराज, उत्तराखण्ड शासन।
10. सचिव, शहरी विकास, उत्तराखण्ड शासन।
11. राज्य योजना आयोग, उत्तराखण्ड शासन।
12. निदेशक, स्थानीय निकाय, उत्तराखण्ड।

क्रमशः.....2

612-Jila Yojana Samiti/19

निर्वाचन भवन, ग्राम लाडपुर

मसूरी वाईपास, रिंग रोड, देहरादून (उत्तराखण्ड)

दूरभाष / 2670457, 2670998

टैलीफैक्स : 2670920, 2678945

//2//

13. निदेशक, पंचायती राज विभाग, उत्तराखण्ड।
14. समस्त सचिव (जि0यो0स0)/मुख्य विकास अधिकारी, उत्तराखण्ड।
15. समस्त प्रभारी अधिकारी, पंचास्थानि चुनावालय, उत्तराखण्ड।
16. समस्त संयुक्त सचिव (जि0यो0स0)/जिला अर्थ एवं संख्या अधिकारी, उत्तराखण्ड।
17. संयुक्त निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, रुड़की को इस आशय के साथ कि वे कृपया इस अधिसूचना को राजकीय असाधरण गजट के विधायी परिशिष्ट भाग-4, खण्ड"ख" में दिनांक 18 मार्च, 2008 को प्रकाशित कराकर 100 प्रतियां आयोग को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
18. निदेशक, दूरदर्शन/आकाशवाणी केन्द्र, देहरादून/नजीबाबाद को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि कृपया इसे अपने संचार माध्यमों से प्रसारित करा दें।
19. - निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उत्तराखण्ड को इस आशय के साथ प्रेषित कि वह कृपया समाचार पत्रों में प्रकाशित कराने का कष्ट करें तथा आकाशवाणी/दूरदर्शन केन्द्र को प्रसारण हेतु भेज दें।
20. आयोग के समस्त अधिकारी/अनुभाग।
21. गार्ड फाइल अनुभाग-3

आज्ञा से  
Jashn 9/4/2008  
(बिपिन चन्द्र चन्दोला)  
राज्य निर्वाचन आयुक्त,  
उत्तराखण्ड।

प्रारूप-क

(सूचना)

जनपद.....मे जिला योजना समिति के सदस्यों के निर्वाचन हेतु जिला पंचायत तथा नगर निकायों के निर्वाचित सदस्यों की मतदाता सूची को तैयार किये जाने हेतु राज्य निर्वाचन आयोग, उत्तराखण्ड की अधिसूचना संख्या.....दिनांक.....के क्रम में मैं,.....जिला मजिस्ट्रेट/ रिटर्निंग आफीसर (जिला योजना समिति) एतद्वारा निम्नलिखित समय-सारिणी निर्धारित करता हूँ, जिसके अनुसार जिला योजना समिति के सदस्यों के निर्वाचन हेतु उपयोग में लायी जाने वाली अन्तिम मतदाता सूची प्रकाशित की जायेगी।

- |    |  |                                   |
|----|--|-----------------------------------|
| 1. | निर्वाचन नामावलियों के आलेख्य का प्रकाशन       | 17 अप्रैल, 2010                   |
| 2. | निरीक्षण एवं दावा आपत्ति दाखिल करने की अवधि    | 19 अप्रैल, 2010 व 20 अप्रैल, 2010 |
| 3. | दावा/आपत्ति का निस्तारण                        | 22 अप्रैल, 2010                   |
| 4. | अंतिम रूप से तैयार निर्वाचक नामावली का प्रकाशन | 24 अप्रैल, 2010                   |
| 5. | दावा/आपत्ति दाखिल करने तथा निस्तारण का स्थान   |                                   |
- जिला मजिस्ट्रेट कार्यालय होगा।

जिला मजिस्ट्रेट/  
रिटर्निंग आफीसर(जिला योजना समिति)

जिला.....

दिनांक.....